

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/वाद/08


जयपुर दिनांक 10.2.14

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 एवं राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से श्री ब्रह्मानन्द सांधू अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/600/1989) को राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच जयपुर के पद पर रिटेनरशिप फीस रूपये 17,500/-प्रतिमाह (निश्चित) एवं सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित मासिक रिटेनरशिप फीस पर अग्रिम आदेश के लिए नियुक्त किया जाता है। इनकी सेवाशर्तें निम्न प्रकार होगी:-

1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे।
4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी सरकारी, फौजदारी प्रकरण, याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
5. उक्त शर्तों के अलावा वर्तमान सेवाशर्तों का जो कि इस विभाग की आज्ञा संख्या प0 2 (27)एल/आर/51, दिनांक 18.12.51 में उल्लेखित है, की पालना करेंगे।

आज्ञा से

  
(गोवर्धन बाढदार)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/विशेषाधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिला कलक्टर /विभागाध्यक्ष।
3. महाधिवक्ता, राज0 उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर/अति0 महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।

4. राजकीय अधिवक्ता / गवर्नमेंट काउन्सिल / प्रशासक वादकरण, जयपुर / जोधपुर।
5. अति० महाधिवक्ता / एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. संबंधित अधिवक्ता।
7. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज० राज्य पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, जनरल / रजिस्ट्रार प्रशासन, राज० उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर बेंच।
11. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
13. लेखाशाखा, विधि विभाग, जयपुर।
14. समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग / विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
15. कोषाधिकारी, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।



(गोवर्धन बाढदार)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य दिभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/वाद/08

जयपुर दिनांक 10.2.14

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 एवं राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्नांकित अभिभाषकों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच, जयपुर में फौजदार प्रकरणों की पैरवी हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं मासिक रिटेनरशिप फीस पर अग्रिम आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम अभिभाषक मय पंजीयन क्र० व वर्ष	पद नाम	रिटेनरशिप फीस प्रतिमाह (निश्चित)
1	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर/387/1997)	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	14,000/-
2	श्री जितेन्द्र श्रीमाली (आर/379/1995)	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	14,000/-
3	श्री सुदेश कुमार सेनी (आर/1290/2001)	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	14,000/-
4	श्री नरेन्द्र सिंह धाकड (आर/2449/2002)	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	14,000/-
5	श्री अलादीन खान (आर/419/1997)	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	14,000/-
6	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत (आर/2842/2004)	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	14,000/-
7	श्री सोनिया सांडिल्य (आर/765/2000)	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	14,000/-
8	श्री आर०आर० बैसला (आर/1055/1995)	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	14,000/-
9	श्री वीरेन्द्र सिंह गोदारा(आर/1362/2003)	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	12,600/-
10	श्री ऋषिराज सिंह राठौड (आर/2323/2004)	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	12,600/-
11	श्री प्रकाश ठाकुरिया (आर/1133ए/2001)	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	12,600/-
12	श्री राजेन्द्र सिंह राघव (आर/661/1998)	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	12,600/-
13	श्रीमती मीन क्षी पारीक (आर/2303/2004)	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	12,600/-
14	श्री रामरतन गूर्जर (आर/2776/2006)	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	12,600/-
15	श्री अनिल यादव (आर/311/2007)	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक	12,600/-

.....निरन्तर

इनकी सेवाशर्तें निम्न प्रकार होगी:-


1. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
2. वे उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
3. वे अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे।
4. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी सरकारी, फौजदारी प्रकरण, याचिकाएँ व विधि नामलों की पैरवी करेंगे।
5. उक्त शर्तों के अलावा वतमान सेवाशर्तों का जो कि इस विभाग की आज्ञा संख्या प0 2 (27)एल/आर/51, दिनांक 18.12.51 में उल्लेखित है, की पालना करेंगे।

आज्ञा से

ह०  
(गोवर्धन बाढदार)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/विशेषाधिकारी, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
3. महाधिवक्ता, राज० उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर/अति० महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
4. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल/प्रशाराक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. अति० महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. संबंधित अधिवक्ता।
7. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राज० राज्य पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, जनरल/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज० उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बेंच।
11. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
13. लेखाशाखा, विधि विभाग, जयपुर।
14. समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग/विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
15. कोषाधिकारी, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

  
10.2.14  
(गोवर्धन बाढदार)  
शासन सचिव, विधि